फा.सं.1-६/२०१९-बी.टी.आई
भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
बीटीआई अनुभाग

कुलपति, केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान (सीआईबीएस) के पद हेतु विज्ञापन

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान (सीआईबीएस), लेह, लद्दाख में कुलपति के एक पद को भरने के लिए पात्र अभ्यर्थियों से दो प्रतियों में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता मानदंड और अन्य विवरण नीचे दिए गए हैं। यह आवेदन पत्र संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट www.indiaculture.nic.in तथा संस्थान की वेबसाइट www.cibs.ac.in से डानउलोड भी किए जा सकते हैं।

1.	पद का नाम :	कुलपति
2.	पद संख्या :	एक
3.	भर्ती की पद्धति :	प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा
4.	वेतनमान :	5000/- रुपए के विशेष भत्ते सहित प्रति माह 2,10,000/- रुपए का निर्धारित वेतन
5.	शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं :	प्रतिनियुक्ति **अनिवार्य अर्हता :** उच्चतम स्तर की कार्य क्षमता, ईमानदारी, नैतिकता और संस्थागत प्रतिबद्धता से युक्त व्यक्ति को कुलपति के पद पर नियुक्त किया जाएगा। कुलपति के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को विश्वविद्यालय तंत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रोफसर या प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में समतुल्य पद पर 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। **वांछनीय अर्हता :** i मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बौद्ध अध्ययन/बौद्ध दर्शनशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री। ii. अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में लिखने और बोलने का ज्ञान और धारा प्रवाह ii. बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित कृतियां या मान्यता प्राप्त पुस्तकें होने का प्रमाण। **आवेदन करने हेतु ऊपरी आयु-सीमा :** आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अल्पकालिक संविदा **अर्हता :** प्रतिनियुक्ति के लिए यथा निर्धारित **आवेदन करने हेतु ऊपरी आयु सीमा :** आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। टिप्पणी : कुलपति, मानित विश्वविद्यालय संस्थान के पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होने चाहिए और खोज-सह-चयन समिति द्वारा सुझाये गये तीन नामों के पैनल से कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति द्वारा नियुक्त होने चाहिए।

		i कुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ii. वह दूसरे कार्यकाल के लिए भी पात्र होंगे बशर्ते है कि किसी भी मामले में वे 70 वर्ष से अधिक आयु होने पर वे उस पद पर कार्यरत नहीं रहेंगे। iii. 5 वर्ष की अवधि से समाप्त होने के बावजूद भी वह छः महीने से अनधिक समय तक या उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने, जो भी पहले हो, तक पद पर कायम रह सकते हैं। iv. कुलाधिपति खोज-सह-चयन समिति द्वारा सुझाए गए तीन नामों के पैनल में से कुलपति की नियुक्ति करेंगे। तत्पश्चात प्रस्ताव अनुमोदन हेतु एसीसी को भेजा जाएगा। v. प्रतिनियुक्ति की अवधि, इसी या केन्द्र सरकार के अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यत: 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
6.	अंतिम तिथि :	विभागीय अभ्यर्थी के मामले में विधिवत भरे गए, सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) संबंधित संगठन द्वारा समुचित माध्यम से श्री मनीष राजन, अवर सचिव, बीटीआई अनुभाग, कमरा नं. 212, द्वितीय तल, पुरातत्व भवन, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023 को 10 जनवरी, 2020, अपराह्न 5.30 बजे तक पहुंच जानी चाहिए।